

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान जयपुर।

क्रमांक : राजपत्रित/सामान्य/प-156/2023/320

दिनांक : 31/08/2023

संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/  
प्रमुख चिकित्सा अधिकारी  
राजस्थान।

**विषय : आयुर्वेदाचार्य पाठ्यक्रम में प्रवेशित छात्र/छात्राओं को विशिखानु (इन्टर्नशिप) प्रशिक्षण हेतु।**

----- : : -----

उपरोक्त विषयान्तर्गत विभाग के प्रशासनिक विभाग के अनुमति पत्र क्रमांक:प. 25(9)चिस्वा/2/2012 दिनांक 08.05.12 के द्वारा भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 06.10.10 के अनुसार आयुर्वेदाचार्य पाठ्यक्रम में प्रवेशित छात्र/छात्राओं को विशिखानु (इन्टर्नशिप) प्रशिक्षण अवधि 06 माह का कार्यक्रम निर्धारित करने हुए शेष रहें 06 माह के प्रशिक्षण हेतु उक्त अधिसूचना के बिन्दू संख्या 06 के अनुसार इस विभाग के फार्मसी/पीएचसी/सीएचसी/ग्रामीण औषधालय अथवा जिला अस्पताल में उक्त प्रशिक्षण पूरा करने का विवरण अंकित है।

अतः आपको आदेश दिये जाते हैं कि इस विभाग को अग्रेषित निम्नांकित छात्र/छात्राओं को प्रशिक्षण हेतु आपके अधीन संस्थान में प्रशिक्षण करने की व्यवस्था सुनिश्चित करने का श्रम करें:-

क्र सं.	छात्र/छात्रा का नाम	CMHO/PMO जिनके अधीन इन्टर्नशिप की जानी है	कॉलेज का नाम
1	डॉ दलपत दान पुत्र श्री गजदान	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बाड़मेर	महात्मा ज्योतिबा फुले आयुर्वेद महाविद्यालय जयपुर
2	डॉ रोशनी मीणा पुत्री श्री रामलाल ननोमा	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, डूंगरपुर	महात्मा ज्योतिबा फुले आयुर्वेद महाविद्यालय जयपुर
3	डॉ सोनिका राजावत पुत्री श्री जयसिंह राजावत	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर	पंजाब आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, श्रीगंगानगर
4	डॉ मधुरिमा कटारा पुत्री श्री हरिराम कटारा	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, डूंगरपुर	शेखावाटी आयुर्वेद कॉलेज, पिलानी
5	डॉ यशी शर्मा पुत्री श्री मनोज शर्मा	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अलवर	महात्मा ज्योतिबा फुले आयुर्वेद महाविद्यालय जयपुर
6	डॉ मनीष कुमार मीणा पुत्र श्री कामोद राम मीणा	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर प्रथम	महात्मा ज्योतिबा फुले आयुर्वेद महाविद्यालय जयपुर
7	डॉ दीपक कुमार मीणा	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर प्रथम	महात्मा ज्योतिबा फुले आयुर्वेद महाविद्यालय जयपुर
8	डॉ भावना यादव श्री विजय सिंह यादव	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर द्वितीय	महात्मा ज्योतिबा फुले आयुर्वेद महाविद्यालय जयपुर

9	डॉ आरती कुमारी गुर्जर पुत्री श्री लक्ष्मीनारायण गुर्जर	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर द्वितीय	एम. जे. एफ. आयुर्वेद कॉलेज चौमु जयपुर
10	डॉ अरविन्द विश्णोई पुत्र श्री शंकर लाल विश्णोई	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, जयपुर	शेखावाटी आयुर्वेद महाविधालय, पिलानी
11	डॉ अभिषेक मीणा पुत्र श्री नाथूलाल मीणा पुत्र श्री नाथूलाल मीणा	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, उदयपुर	महात्मा ज्योतिबा फुले आयुर्वेद महाविधालय जयपुर
12	डॉ अश्विन कुमार पुत्र श्री भगवती लाल डामोर	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, उदयपुर	महात्मा ज्योतिबा फुले आयुर्वेद महाविधालय जयपुर
13	डॉ ममता पूनियां पुत्री श्री भारत सिंह पूनियां	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर प्रथम	महात्मा ज्योतिबा फुले आयुर्वेद महाविधालय जयपुर
14	डॉ काजल चावला पुत्री श्री अशोक कुमार चावला	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सीकर	महात्मा ज्योतिबा फुले आयुर्वेद महाविधालय जयपुर
15	डॉ सलाम कुरैशी पुत्र श्री अब्दुल लतीफ कुरैशी	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर प्रथम	महात्मा ज्योतिबा फुले आयुर्वेद महाविधालय जयपुर
16	डॉ कविता मीणा पुत्री श्री रामलाल मीणा	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, डूंगरपुर	शेखावाटी आयुर्वेद कॉलेज, पिलानी

(5)

**निदेशक (जन स्वास्थ्य)**  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,  
राजस्थान जयपुर।

क्रमांक : राजपत्रित/सामान्य/प-156/2023/320

दिनांक : 31/08/2023

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. शासन उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. कुल सचिव, राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर।
3. निदेशक, आयुर्वेद विभाग, अजमेर।
4. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि कि उक्त पत्र को आज ही विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करवाने की व्यवस्था करावें।
5. रक्षित पत्रावली।

(5)

**निदेशक (जन स्वास्थ्य)**  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,  
राजस्थान जयपुर।